

प्रति

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण

नई दिल्ली

**विषय - OA No. 117/2023 GAURAV KUMAR GUPTA v/s STATE OF CHHATTISGARH ।**

**संदर्भ - प्रकरण OA No. 117/2023 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण , प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 में जांचदल द्वारा जांच में अनियमितता एवं निष्पक्षता न रखने के संबंध में शिकायत।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुक्रम में **OA No. 117/2023** में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण , प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक **27.03.2023** के अवलोकन एवं परिपालन में गठित टीम दिनांक **26.04.2023** को जांच स्थल जांच करने पहुंची थी।

महोदय मेरे द्वारा संबंधित जांच अधिकारियों से संपर्क किया गया और उक्त जांच स्थल पर उपस्थित होने निवेदन किया गया जिससे जांच में निष्पक्षता बनी रहे, किन्तु जांच दल से संबंधित नोडल अधिकारी क्षेत्रीय प्रबंधक **PCB** अम्बिकापुर द्वारा मुझे उक्त जांच स्थल पर जाने से मना कर दिया गया और मेरी गैर मौजूदगी में जांच की गई महोदय जांच में मात्र खानापूर्ति की जा रही है, जांच में **R.O. PCB** अम्बिकापुर को नोडल अधिकारी **PCB** छत्तीसगढ़ द्वारा बनाया गया है, उन्हें पिछले आठ माह से मेरे द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, किन्तु कोई भी कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई , और आज जब माननीय **NGT** नई दिल्ली द्वारा जांच के आदेश किये गए हैं, तब भी जांच को उक्त अधिकारी द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, और पटटेदार को समझाईस देकर गलतियां सुधारने हेतु मौका दिया जा रहा है, जैसे बंद पड़े स्प्रिंकलर को पटटेदार द्वारा चालू कराना और भी अन्य कमियों में सुधार कराना, **PCB** अम्बिकापुर द्वारा बारिश के दौरान दिनांक **29.04.2023** को **AIR POLUATION** चेक किया गया किन्तु मौसम में नमी के कारण सही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, फिर भी नमी के दौरान चेक किया गया एवं जांच के दौरान पटटेदार द्वारा जांच टीम की रहने, खाने की वयवस्था एवं खूब जमकर खातेदारी की गई।

मेरे द्वारा पूर्व में जिन्हे शिकायत की गई शिकायत के बावजूद कोई भी प्रतिक्रिया और कार्यवाही न करते हुवे उन्हे सारी कमियों को दूर करने का मौका दिया गया, जिसमें कहीं न कहीं पर्यावरण विभाग की संलिप्तता प्रतीत होती है, क्योंकि उक्त पटटेदार श्री कृष्ण मुरारी तिवारी सत्तापक्ष (कांग्रेस) का एक रसुखदार नेता है, और वर्तमान में नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ का उपाध्यक्ष भी है, उसके द्वारा सत्ता का रौब दिखाकर अधिकारियों पर बड़े नेताओं से दबाव बनवाकर जांच को प्रभावित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

P.T.O.

महोदय उक्त संदर्भ मे सही व निष्पक्ष जांच न होने की वजह से जहा एक तरफ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वहीं अवैध उत्खनन करने वालों का हौसला अफजाई भी होगी।

15

अतः माननीय से निवेदन है उक्त के संदर्भ में उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन करने की कृपा करें जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके।

सादर धन्यवाद।

### प्रतिलिपि

- 1 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भोपाल।
- 2 केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल (CPCB) भोपाल।
- 3 छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय रायपुर (छ0ग0)।

### संलग्न

- 1 पूर्व में की गई शिकायतों की छायाप्रति।
- 2 समाचार पत्रों की छायाप्रति।



आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी - मनेन्द्रगढ़

जिला-मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर

मो0 9407744830



# वया नया उपाध्यक्ष अपनी पत्थर खदान में करा रहे अवैध ब्लारिस्टिंग


## तथा खदान में पड़ी है बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का स्टाक?

- » वया नाए कलेक्टर कार्यालय से महज कुछ मीटर दूर नियम विरुद्ध तरीके से हो रहा है पत्थर खनन, क्रेशर का हो रहा अवैध संचालन?
- » पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने उत्पादन बंद करने एवं बिजली काटने के लिए निर्देश, फिर भी नेताजी बड़ी दबर्वाई से चला रहे हैं क्रेशर कैसे?
- » सत्तापार्टी के नेता होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने से कतरा रहे?
- » वया सत्ताधारी पार्टी के नेता होने कि वजह से सारे नियम कानून शिथिल हो गए?

बाले हैं लेकिन अभी तक सत्तापक्ष कोपम पार्टी का जितना प्रयास के होने के कारण जिला प्रशासन के सभी अधिकारी इन पर कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं, यह श्रीमान दिन गल अपने सभी पत्रों को संचालित कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों में सत्ता का खीस बजाकर बड़े मजदूर पर पिंडी का सत्याज कर रहे हैं। जिले के खनिज अधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में ब्लारिस्टिंग का लॉडसेंस नहीं होने और ब्लारिस्टिंग किए जाने की बात लिखी है, खदानों से पत्थर उखनन के बाद पत्थर को क्रेशर तक परिवहन के लिए अभिमान पास की आवश्यकता होती है जिसमें खनिज इस्पेंडर और खनिज अधिकारी आना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं उसके उपराली हो अभिवहन पास जारी किया जाता है।

### सूचना के अधिकार से मिली थी जानकारी

सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण गुरारी तिवारी बिना विस्फोटक तालेसम लिए हुए लगातार अपने खदान में विस्फोट कर रहे हैं, चूंकि हीसनापुर की खदान पेंटाइट पत्थरों की सीमा है जो किसी भी कोमल पर बिना ब्लारिस्टिंग किए हुए नहीं निकाली जा सकती, यदि कोई भी कृष्ण संचालक या कहता है कि वह बिना ब्लारिस्टिंग पत्थर निकलता है तो प्रशासन के आंख में धूल झांक रहा है खदानों में इनके पास 40-50 मजदूर रोजगार कार्य करते हैं जो खुद ही पत्थरों में कंप्रेसर मशीन के माध्यम से डिल करते हैं और खंड ही इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कर खारिस्टिंग करते हैं जो कार्य बड़ा जोखिम भरा है कई बार यह मजदूर ब्लारिस्टिंग से घुसा लिया जाता है हीसनापुर आदि इलाकों में प्रतिवेदन लगाए सभी खदानों को पिटाकर एक हजार खारिस्टिंग को जाले हैं लेकिन इन अवैध खारिस्टिंग उपर अभी तक जिला प्रशासन आख बंद किए हुए है।



Notified by Commissioner  
Notified by Commissioner

क्रमांक 1513/ 2021/13-12.2021 को शक्ति के अधीन आप को निर्देशित किया जाता है कि खदान को तत्काल प्रभाव से उत्पादन भंडारण खनिज अधिवंता सत्याज एवं अन्य सुविधाएं खनिज विभाग कच्ची संघीत विभाग द्वारा तत्काल को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से इनके खदान और क्रेशर का उत्पादन बंद करने व सील करने। एवं बिजली काटने के निर्देश दिए गए थे, अपने पत्र में क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने क्रेशर संचालक कृष्ण गुरारी तिवारी लिखा है कि आप इत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा निर्वण अधिनियम 1974 की धारा 41 एवं वायु प्रदूषण निवारण निर्वण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य के तहत की गई कार्रवाई के लिए आप स्वयं उत्तरदाई होंगे। इस पत्र को दिए गए लगभग विभाग का 1 वप होन

है, इनकी मनसा भी सीएम याहव में मिलकर इन के विरुद्ध शिकायत करने की है पिछले बार एए थू लेकिन उन्हें सीएम मिलने से नहीं मिलने प्रशासन को उत्सुकता दशावेष प्रकृत किन्तु अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पत्र लिख तत्काल खदान और क्रेशर का उत्पादन बंद करने व सील करने एवं बिजली काटने का दिया था निर्देश**

रमपुर प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक दिन मॉर्निंग थाने में खान के लिए बुलाया गया था उन्होंने विवेकित अपने पत्र के भूताधिक आवश्यक दशावेष प्रकृत प्रशासन को उत्सुकता दशावेष प्रकृत किन्तु अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

रमपुर प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक दिन मॉर्निंग थाने में खान के लिए बुलाया गया था उन्होंने विवेकित अपने पत्र के भूताधिक आवश्यक दशावेष प्रकृत प्रशासन को उत्सुकता दशावेष प्रकृत किन्तु अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

निक सिंघ-  
बैकुण्ठपुर 08 सितम्बर 2022

मनेंद्राड नगरपालिका के उपाध्यक्ष को रोहड़ी सत्ता में उनके हटवाने के सलाहकार पार्टी के सदस्य होने के नाते शायम प्रशासन को अपनी करतुगली सहायने वाले नेताजी के सामने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग, सभी शासकीय मालवपुर विभागों के अधिकारियों ने इनके सामने सुन्दे टिक हुए हैं, सूजों की मामने तो नेताजी मिठी क्रेशर के संचालक हैं, जिनके कई क्रेशर और खदान हिसनापुर में स्थित हैं, जहाँ एक तालम मनेंद्राड शहर ना जिले के जलटन के जल में बरसा है वही नए कलेक्टर कार्यालय में महज 800 मीटर दूर नेताजी अपनी मिठी खदान में कई थड्डे खन लिए जा रहे हैं, 120 अवैध ब्लारिस्टिंग कर रहे हैं, मिठी जानकारी के अनुसार इनके पास विस्फोटक का कोई प्रैप लॉडसेंस नहीं है।

### वया ब्लारिस्टिंग कि आवाज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँचती?

बड़ा खदान यहाँ उत्पन्न होता है कि इनकी बड़ी मात्रा में ब्लारिस्टिंग में उपयोग होने वाले अमोनियम नाइट्रेट, ईडी कैम्पूल बत्ती सहित अन्य अतिसंवेदनशील सामग्री इन्हे कहाँ से प्राप्त होती है, इनके पास कोई मित्रजी नहीं है यह मनेंद्राड शहर में रहते हैं, यदि यदि विस्फोटक सामग्री शहर में रहती है तो शहर भी सुरक्षित नहीं है अधिकारपर संचालन में लगेया नमस्कारियों को नॉनलिक्विड सामान को मिलने की है कोरिया जिले में भी नमस्कारियों की संपत्तियाँ लगेया देखी गई है सभी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में नेताजी के पास विस्फोटक का होना अथवा लगातार ब्लारिस्टिंग कि आवाज सुनने के बाद प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना प्रशासन कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को पोल खोल दो है, सीएम साहब का आमनन हो रहा है, जिला प्रशासन सुरक्ष व्यवस्था की कमान पुलिस प्रशासन को सौंप रखी है

# नगरपालिका उपाध्यक्ष द्वारा अपनी पत्थर खदानों में की जा रही है अवैध ब्लास्टिंग


**बड़ी मात्रा में विस्फोटक के स्टॉक होने की खबर**

समवेत शिखर संवाददाता

चिरमिरी। मनेंद्रगढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी की रंगदारी सत्ता में उनके पहुंचने के बाद बड़ी चरम पर है कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य होने के नाते शासन प्रशासन को अपनी कठपुतली समझने वाले नेताजी के सामने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग, सभी शासकीय महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने इनके सामने घुटने टेक हुए हैं।

बताया जाता है कि नेताजी गिद्धी क़ेशर के संचालक हैं, जिनके कई क़ेशर और खदान हस्तिनपुर में स्थित हैं जहां एक तरफ मनेंद्रगढ़ शहर नए जिले के उद्घाटन के जश्न में व्यस्त है वहीं नए कलेक्टर कार्यालय से महज 800 मीटर दूर नेताजी अपनी गिद्धी खदान में बड़े धड़के से प्रतिदिन 100 से 120 अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मिली जानकारी के अनुसार इनके पास विस्फोटक का कोई वैध लाइसेंस नहीं है।

बड़ा सवाल यहां उत्पन्न होता है कि इतनी



बड़ी मात्रा में ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाले अमोनियम नाइट्रेट-ईडी कैप्सूल बत्ती सहित अन्य अतिसंवेदनशील सामग्री इन्हे कहां से प्राप्त होती है इनके पास कोई मैगजीन नहीं है यह मनेंद्रगढ़ शहर में रहते हैं, यदि यदि विस्फोटक सामग्री शहर में रखते हैं तो शहर भी सुरक्षित नहीं है अंबिकापुर संभाग में हमेशा नक्सलियों की गतिविधियां सुनने को मिलती रही है कोरिया जिले में भी नक्सलियों की सुगबुगाहट हमेशा देखी गई है ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में नेताजी के पास विस्फोटक का होना अथवा लगातार ब्लास्टिंग कि आवाज सुनने के बाद प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना पुलिस प्रशासन कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, सीएम साहब का आगमन हो रहा है, जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की कमान पुलिस प्रशासन को सौंप रखी है

अवैध ब्लास्टिंग बंद कराने में नकाम नेताजी पर कारवाही कार्यवाही करने में असफल पुलिस प्रशासन कि इस खोखली सुरक्षा व्यवस्था पर सर्वालिया निशान लगा रहे है! विदित हो कि मनेंद्रगढ़ निवासी गौरव गुप्ता ने इस संदर्भ में पुलिस के आला अधिकारियों को अपना शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि नगरपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी के द्वारा अपने गिद्धी खदान से जो महज नेशनल हाईवे से कुछ मीटर दूर है, लगातार पिछले कई वर्षों से अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित तौर पर जिम्मेदार विभागों को की है लेकिन अभी तक अवैध ब्लास्टिंग बंद नहीं कराई गई है और बड़े धड़के से विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है, खदान के समीप काफी मात्रा में ग्रामीणों का निवास है, एनजीटी के नियमों के मुताबिक नेशनल हाईवे से खदान लगभग 500 मीटर दूर होना चाहिए लेकिन महज 40 मीटर दूरी पर खदान संचालित है कई बार हैवी ब्लास्टिंग के कारण ग्राम वासियों ने आंदोलन भी किया था लेकिन दबांग नेता जी के दबांगई के कारण ग्रामवासी इनके खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं।

प्रति

दिनांक 29.03.2023

19

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ –जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

महोदय

निवेदन है कि श्री हरकेश तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी मेरे द्वारा की गई है, जो कि निम्नानुसार है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
5. NGT के दिशा निर्देश के विपरित जाकर पट्टेदार द्वारा 15-20 मीटर गहरा उत्खनन का कार्य किया है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।

20  
7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने का कृपा करें क्यों कि उक्त पट्टेदार के परिवार जन का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है।

महोदय मेरे द्वारा पूर्व में भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से उक्त विषयांतर्गत शिकायत दर्ज करायी गयी है, किन्तु आज दिनांक तक शिकायत पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किया जाना निंदनीय एवं दुर्भाग्यजनक है, क्यों कि कार्यवाही न होने से उक्त पट्टेदार द्वारा निरंतर अवैध उत्खनन एवं परिवहन जारी है जिससे एक ओर शासन को राजस्व कि हानि हो रही है एवं पर्यावरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त एवं दूषित हो रहा है, एवं दूसरी ओर आम जनमानस की नजर में (छ0ग0) सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, अन्यथा कि स्थिति में मैं माननीय न्यायालय की शरण में जानें के लिए बाध्य रहूंगा।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
6. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) नई दिल्ली।
7. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) भोपाल।

*Jai Prakash Jaiswal*

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

मो0 9407744830

27 7. 4

भारतीय डाक



India Post

FC2821004051N TVR:4967282100405  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:NATIONAL GREEN BHUPAI  
PIN:462011, Shiksha Mandali S O  
From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:14gms

भारतीय डाक



India Post

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

FC2821004141N TVR:4967282100414  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:NATIONAL GREEN DEHRI

PIN:210001, New Dehri GPO  
From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:20gms

भारतीय डाक



India Post

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

FC2821004251N TVR:4967282100425  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:CC PARYAHARAN AMRIKAPUR  
PIN:497001, Ashikapur HC  
From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:20gms

भारतीय डाक



India Post

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

FC2821004281N TVR:4967282100428  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:CC PARYAHARAN RAIPUR

PIN:492002, Mantralaya Raipur SO

From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)



India Post

FC2821004311N TVR:4967282100431  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:SACHIV RAIPUR

PIN:492101, Mandir Hasod SO  
From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:22gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)



India Post

FC2821004591N TVR:4967282100459  
SP RATKHINTHUR SO (497335)

Counter No:1 31/03/2023 14:19

To:MIKHY SACHIV RAIPUR

PIN:492101, Mandir Hasod SO

From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:22gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)



India Post

FC2821005781N TVR:4967282100578  
SP RATKHINTHUR SO (497335)  
Counter No:1 31/03/2023 14:19  
To:SANCHAI AX RAIPUR  
PIN:492101, Mandir Hasod SO

From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)



India Post

प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ – जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

महोदय

निवेदन है कि श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है, इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरिक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. इनके द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।
5. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था, जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

23

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने की कृपा करें क्योंकि उक्त पट्टेदार का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है।

महोदय मेरे द्वारा पूर्व में भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से उक्त विषयांतर्गत शिकायत दर्ज करायी गयी है, किन्तु आज दिनांक तक शिकायत पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किया जाना निंदनीय एवं दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कार्यवाही न होने से उक्त पट्टेदार द्वारा निरंतर अवैध उत्खनन एवं परिवहन जारी है जिससे एक ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है एवं पर्यावरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त एवं दूषित हो रहा है, एवं दूसरी ओर आम जनमानस की नजर में (छ0ग0) सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, अन्यथा कि स्थिति में मैं माननीय न्यायालय की शरण में जानें के लिए बाध्य रहूंगा।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्ष छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
6. नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (NGT) नई दिल्ली।
7. नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (NGT) भोपाल।



आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

मो0 9407744830

24

भारतीय डाक



FC282100374IN IVR:6967282100374  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:NATIONAL GREEN DEFINT  
PIN:110001, New Delhi GPO  
From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)



FC282100388IN IVR:6967282100388  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:NATIONAL GREEN DEFINT  
PIN:462011, Shiksha Mandali S O  
From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)



FC282100391IN IVR:6967282100391  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:CG PRYWARAN, AMBIKAPUR  
PIN:497001, Ambikapur NG  
From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:20gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)



FC282100683IN IVR:6967282100683  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:CG PRYWARAN, RAIPUR  
PIN:497002, Mantralaya Raipur SO  
From:GAURAV KUMAR MCR

From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



FC282100697IN IVR:6967282100697  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:SACHIV, RAIPUR  
PIN:492101, Mandir Hasod SO  
From:GAURAV KUMAR MCR

Wt:20gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



FC282100564IN IVR:6967282100564  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:SACHIV, RAIPUR  
PIN:492101, Mandir Hasod SO

From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



FC282100706IN IVR:6967282100706  
SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
Counter No:1,31/03/2023, 14:26  
To:SANCHAI AX, RAIPUR  
PIN:492101, Mandir Hasod SO  
From:GAURAV KUMAR MCR  
Wt:20gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dial 18002666868) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

25

विषय – श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ – जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

महोदय

निवेदन है कि श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।
5. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड़ नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने का कृपा करें क्यों कि उक्त पट्टेदार के परिवार जन का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है,


महोदय मेरे द्वारा पूर्व में भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से उक्त विषयांतर्गत शिकायत दर्ज करायी गयी है, किन्तु आज दिनांक तक शिकायत पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किया जाना निंदनीय एवं दुर्भाग्यजनक है, क्यों कि कार्यवाही न होने से उक्त पट्टेदार द्वारा निरंतर अवैध उत्खनन एवं परिवहन जारी है जिससे एक ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है एवं पर्यावरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त एवं दूषित हो रहा है, एवं दूसरी ओर आम जनमानस की नजर में (छ0ग0) सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, अन्यथा कि स्थिति में मैं माननीय न्यायालय की शरण में जानें के लिए बाध्य रहूंगा।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
6. नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (NGT) नई दिल्ली।
7. नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (NGT) भोपाल।

  
आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

मो0 9407744830



EG284062953IN TVR:6967284062953  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:NATIONAL GREEN DELHI  
 PIN:110001, New Delhi GPO  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:14gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062943IN TVR:6967284062943  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:NATIONAL GREEN RUDRAI  
 PIN:462011, Shikha Mandai G.O  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:14gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062930IN TVR:6967284062930  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:PARVAVARAN SA ANDIKAPUR  
 PIN:497001, Ambikapur HG  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:14gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062838IN TVR:6967284062838  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:CG PARVAVARAN RAIPUR  
 PIN:492002, Mantralaya Raipur SO  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:14gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



Wt:14gms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062824IN TVR:6967284062824  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:SACHIV RAIPUR  
 PIN:492101, Mandir Hasod SO  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:14gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062815IN TVR:6967284062815  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:MIKHY SACHIV RAIPUR  
 PIN:492101, Mandir Hasod SO  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:27gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



FC284062926IN TVR:6967284062926  
 SP RATKUNTHPUR SO (497335)  
 Counter No:1,31/03/2023, 13:25  
 To:SANCHAI AK RAIPUR  
 PIN:492101, Mandir Hasod SO  
 From:GAURAV KUMAR NCR  
 Wt:20gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18007666868) (Wear Mask Stay Safe)



सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0)  
भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – पर्यावरणीय स्वीकृति न प्रदान करने बावत।

संदर्भ – श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया (छ0ग0) में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में।

महोदय

महोदय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) के पत्र क्रमांक 1600/एस. ई. ए. सी. छ0ग0/ मीटिंग/2022 नया रायपुर अटलनगर दिनांक 08.11.2022 के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) की 441 वीं एवं 442 वी बैठक में श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील मनेन्द्रगढ, जिला कोरिया (छ0ग0) में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचारणीय था।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है जिसका ब्योरा निम्न है।

उक्त पट्टेदार कि खदान कल्सटर एरिया में है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं **NGT** नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के खदान एवं केशर के नजदीक जीवनदायनी हसदेव नदी बहती है जो कि लगातार प्रदूषित हो रही है एवं जिसका निरंतर दोहन हो रहा है।
5. **CSR** मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
- 6.मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

13. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।

14. पट्टेदार द्वारा खदान क्षेत्र में नियम विरुद्ध तरीके से फलाइ एस ब्रिक्स का प्लांट भी लगाया गया है जिसकी कोई भी अनापत्ति विभाग द्वारा नहीं ली गयी है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर ही पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें एवं पर्यावरण समाधान (EC) अनापत्ती प्रमाण पत्र न जारी करें क्योंकि इन्हे अगर पुनः खदान संचालन कि अनुमति मिलती है तो इनके द्वारा पुनः नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण असुरक्षित होगा एवं जल, जंगल, जमीन को क्षति पहुंचेगी तथा शासन को राजस्व की हानि होगी।

**सादर धन्यवाद।**

**प्रतिलिपि :**

1. डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 49 साईं मंगलम के समीप, विद्युत नगर दुर्ग, ।
2. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जाधव निवास, जय हिन्द चौक, राजा तालाब रायपुर (छ0ग0) छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
3. श्री एन. के. चन्द्रकर, मकान नम्बर 19, नवजीवन सोसायटी, पचपेडी नाका, रायपुर (छ0ग0)।
4. श्री किशन सिंह धुव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर, जल संसाधन विभाग, डी.-72 सेक्टर-01, देवेन्द्र नगर रायपुर (छ0ग0)।
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग माहाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)।
6. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सहप्राध्यापक, धातु कार्मिक एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फ्लैट नम्बर 303, न्यू फैकल्टी ब्लॉक, रायपुर (छ0ग0)।

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17  
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)  
मो0 9407744830



सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0)

भारत सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नया रायपुर (छ0ग0)

**विषय – पर्यावरणीय स्वीकृति न प्रदान करने बावत।**

**संदर्भ – कृष्ण मुरारी तिवारी जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील मनेन्द्रगढ, जिला कोरिया (छ0ग0) में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में।**

महोदय

महोदय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) के पत्र क्रमांक 1600/एस. ई. ए. सी. छ0ग0/ मीटिंग/2022 नया रायपुर अटलनगर दिनांक 08.11.2022 के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) की 441 वीं एवं 442 वीं बैठक में श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील मनेन्द्रगढ, जिला कोरिया (छ0ग0) में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचारणीय था।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है जिसका ब्योरा निम्न है।

उक्त पट्टेदार कि खदान कल्सटर एरिया में है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र मे अवैध खनन किया गया है एवं **NGT** नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के खदान एवं केशर के नजदीक जीवनदायनी हसदेव नदी बहती है जो कि लगातार प्रदूषित हो रही है एवं जिसका निरंतर दोहन हो रहा है।
5. **CSR** मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
- 6.मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

13. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर ही पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें एवं पर्यावरण समाधान (EC) अनापत्ती प्रमाण पत्र न जारी करें क्यों कि इन्हे अगर पुनः खदान संचालन कि अनुमति मिलती है तो इनके द्वारा पुनः नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण असुरक्षित होगा एवं जल, जंगल, जमीन को क्षति पहुंचेगी तथा शासन को राजस्व की हानि होगी।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 49 साई मंगलम के समीप, विद्युत नगर दुर्ग, ।
2. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जाधव निवास, जय हिन्द चौक, राजा तालाब रायपुर (छ0ग0) छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
3. श्री एन. के. चन्द्रकर, मकान नम्बर 19, नवजीवन सोसायटी, पचपेडी नाका, रायपुर (छ0ग0)।
4. श्री किशन सिंह धुव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर, जल संसाधन विभाग, डी.-72 सेक्टर-01, देवेन्द्र नगर रायपुर (छ0ग0)।
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, प्रार्चाय, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)।
6. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सहप्राध्यापक, धातु कार्मिक एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फ्लैट नम्बर 303, न्यू फैकल्टी ब्लॉक, रायपुर (छ0ग0)।

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

मो0 9407744830



प्रति

दिनांक 31/12/2022

34

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0)  
भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – पर्यावरणीय स्वीकृति न प्रदान करने बावत्।

संदर्भ – हरकेश तिवारी जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा, ग्राम पंचायत साल्ही, तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में।

महोदय

महोदय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) के पत्र क्रमांक 1600/एस. ई. ए. सी. छ0ग0/ मीटिंग/2022 नया रायपुर अटलनगर दिनांक 08.11.2022 के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (छ0ग0) की 441 वीं एवं 442 वी बैठक में हरकेश तिवारी जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा, ग्राम पंचायत साल्ही, तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचारणीय था।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है जिसका व्योरा निम्न है।

उक्त पट्टेदार कि खदान कल्सटर एरिया में है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र मे अवैध खनन किया गया है एवं **NGT** नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के खदान एवं केशर के नजदीक जीवनदायनी हसदेव नदी बहती है जो कि लगातार प्रदूषित हो रही है एवं जिसका निरंतर दोहन हो रहा है।
5. **CSR** मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
- 6.मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

13. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर ही पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें एवं पर्यावरण समाधान (EC) अनापत्ती प्रमाण पत्र न जारी करें क्यों कि इन्हे अगर पुनः खदान संचालन कि अनुमति मिलती है तो इनके द्वारा पुनः नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण असुरक्षित होगा एवं जल, जंगल, जमीन को क्षति पहुंचेगी तथा शासन को राजस्व की हानि होगी।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 49 साईं मंगलम के समीप, विद्युत नगर दुर्ग, ।
2. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जाधव निवास, जय हिन्द चौक, राजा तालाब रायपुर (छ0ग0) छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
3. श्री एन. के. चन्द्रकर, मकान नम्बर 19, नवजीवन सोसायटी, पचपेडी नाका, रायपुर (छ0ग0)।
4. श्री किशन सिंह धुव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर, जल संसाधन विभाग, डी.-72 सेक्टर-01, देवेन्द्र नगर रायपुर (छ0ग0)।
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, प्रार्थी, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)।
6. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सहप्राध्यापक, धातु कार्मिक एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फ्लैट नम्बर 303, न्यू फैकल्टी ब्लॉक, रायपुर (छ0ग0)।

  
अतिरिक्त

गौरव कुमार गुप्ता  
निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17  
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)  
मो0 9407744830



प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय - हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत।

संदर्भ - जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

महोदय

निवेदन है कि श्री हरकेश तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 525 ,रकबा 4.130 हे. में से 1.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

1. पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
5. NGT के दिशा निर्देश के विपरित जाकर पट्टेदार द्वारा 15-20 मीटर गहरा उत्खनन का कार्य किया है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।

o/c

7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने का कृपा करें क्योंकि उक्त पट्टेदार के परिवार जन का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है, जिससे जांच बाधित होगी एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके जल, जंगल, जमीन को क्षति ना हो और शासन को राजस्व की हानि ना हो।

**सादर धन्यवाद।**

**प्रतिलिपि :**

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
6. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) नई दिल्ली।

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो0 9407744830



FC1R4259571H IVR:407184259571 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: KUNYA SACHIV RAIPUR  
 PIN: 492001 Raipur NG  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259483H IVR:407184259483 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: SANCHALAK RAIPUR  
 PIN: 492001 Raipur NG  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259470H IVR:407184259470 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: THE KUNYA MAHARI SO CHUGHAN  
 PIN: 492001 Raipur NG  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 43 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259461H IVR:407184259461 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: SGT DELHI  
 PIN: 110001 New Delhi CN  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259452H IVR:407184259452 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: CG PARYABARAN GADANG BHAVAN  
 PIN: 497001 Ambikapur HP  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



RET: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259599H IVR:40718425999 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: CG PARYABARAN RAIPUR  
 PIN: 492001 Raipur NG  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



FC1R4259595H IVR:40718425995 India Post  
 SP RAJKUNTHUR SQ (407135)  
 Counter No: 13/09/2022 13:57  
 To: SACHIV RAIPUR  
 PIN: 492001 Raipur NG  
 From: GAURAV KUMAR MAHENDRAGARH  
 Wt: 20gms  
 Ret: 41 30(Cash)Tax: 6.30

(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Dial 18002660000) (Hear No



23/08/2022

प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ –1. जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

2. मेरा पूर्व का शिकायत पत्र दिनांक 29.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय

निवेदन है कि श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।

2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है, इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरिक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।

3. इनके द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।

5. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने में थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था, जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने की कृपा करें क्यों कि उक्त पट्टेदार का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है, जिससे जांच बाधित होगी एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके जल, जंगल, जमीन को क्षति ना हो और शासन को राजस्व की हानि ना हो।

सादर धन्यवाद।



आवेदक  
गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17  
मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो0 9407744830

23/08/2022

42

प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ –1. जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में।

2. मेरा पूर्व का शिकायत पत्र दिनांक 29.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय

निवेदन है कि श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।

2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरिक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।

3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।

5. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने का कृपा करें क्योंकि उक्त पट्टेदार के परिवार जन का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है, जिससे जांच बाधित होगी एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके जल, जंगल, जमीन को क्षति ना हो और शासन को राजस्व की हानि ना हो।

सादर धन्यवाद।

आवेदक  
गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो0 9407744830



प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

**विषय – श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।**

**संदर्भ – जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में**

महोदय

निवेदन है कि श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 15 ,रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

- 1.पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है, इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरिक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. इनके द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।
5. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।

7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था, जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने की कृपा करें क्यों कि उक्त पट्टेदार का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है, जिससे जांच बाधित होगी एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके जल, जंगल, जमीन को क्षति ना हो और शासन को राजस्व की हानि ना हो।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि :

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।

आवेदक

गौरव कुमार सुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो0 9407744830

FC1933681901M ITR:4967193348190  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,01/08/2022,13:26  
To:CG PARYAVARAN ANIKAPUR  
PIN:492001, Raipur NG  
From:DAURAY K GUPTA,MANENDRAGARH

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)



FC1933810501M ITR:496719338  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,29/07/2022,11:23  
To:C H RAIPUR RAIPUR  
PIN:492001, Raipur NG  
From:CHANDU KHAN GUPTA,ONG

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)




FC1933810771M ITR:496719338  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,29/07/2022,11:23  
To:CHANDU KHAN GUPTA,ONG  
PIN:492001, Raipur NG  
From:CHANDU KHAN GUPTA,ONG

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)



FC1933810471M ITR:496719338  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,29/07/2022,11:23  
To:KUN GUPTA,ONG  
PIN:492001, Raipur NG  
From:CHANDU KHAN GUPTA,ONG

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)



FC1933810851M ITR:496719338  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,29/07/2022,11:23  
To:CG PARYAVAN CHANDU RAIPUR  
PIN:492001, Raipur NG  
From:CHANDU KHAN GUPTA,ONG

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)



FC1933811701M ITR:496719338  
SP:BAIKUNTHPUR SO:1493335  
Counter No:4,29/07/2022,11:23  
To:CHANDU KHAN GUPTA,ONG  
PIN:492001, Raipur NG  
From:CHANDU KHAN GUPTA,ONG

Wt:72gms  
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30  
(Track on www.indiapost.gov.in)  
(Dist) 18007668888 (Wear Mask)



29/07/2022

47  
F

प्रति

संचालक

भौमिक एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)

विषय – श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ – जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा के संदर्भ में

महोदय

निवेदन है कि श्रीमति राधिका तिवारी, पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को जिला कोरिया के ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ़ में स्थित शासकीय भूमि ख.न. 299 ,रकबा 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर केशर उत्खनन पट्टा स्वीकृत है।

महोदय उक्त पट्टेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, एवं शासन को राजस्व कि हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि निम्नानुसार है।

1. पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारुद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके केशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार द्वारा पास के शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाता है, जिसकी विडियो फुटेज पत्र के साथ संलग्न है।
5. मौके जांच पर खदान एवं केशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।

7. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

8. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

9. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

10. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

11. नियमानुसार 100 पेंड प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेंड नहीं लगवाया गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच केन्द्रीय उडनदस्ता खनिज विभाग द्वारा कराया जाने का कृपा करें क्यों कि उक्त पट्टेदार के परिवार जन का राजनितिक प्रभाव जिले के अधिकारी व कर्मचारियों पर है, एवं इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध है, जिससे जांच बाधित होगी एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके जल, जंगल, जमीन को क्षति ना हो और शासन को राजस्व की हानि ना हो।

**सादर धन्यवाद।**

**प्रतिलिपि :**

1. मा. मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन।
2. मुख्य सचिव छ0ग0 शासन।
3. सचिव, भौमिक तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
4. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल मुख्यालय रायपुर छ0ग0।
5. छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल बजरंग भवन, नमनाकला अम्बिकापुर को सूचनार्थ।

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

निवासी-पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 17

मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो0 9407744830

भारतीय डाक



EC193367852IN IVR:6967193367852  
 DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 01/08/2009, 13:24  
 To:CC PARYAVARAN ANBIKAM  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:GAURAV K. BHIDE, MAHENDRACRU  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30  
 (Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)

भारतीय डाक



EC193381275IN IVR:6967193381275

DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 29/07/2009, 11  
 To:RAJENDRA BHANI RAIPUR  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:SHRADDH KUMAR GUPTA RPO  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30



(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)

EC193381284IN IVR:6967193381284

DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 29/07/2009, 11  
 To:KUNIA SAHAY RPO RAIPUR  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:SHRADDH KUMAR GUPTA RPO  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30



(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)

EC193381283IN IVR:6967193381283

DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 29/07/2009, 11  
 To:CHANDRA BHANI RAIPUR  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:SHRADDH KUMAR GUPTA RPO  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30



(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)

EC193381282IN IVR:6967193381282

DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 29/07/2009, 11  
 To:K RAIPUR RAIPUR  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:SHRADDH KUMAR GUPTA RPO  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30



(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)

EC193381277IN IVR:6967193381277

DP:RAIKUNTHUR DP:497335  
 Counter No:4, 29/07/2009, 11  
 To:G PANTAN RAIPUR  
 PIN:497001, Raipur HQ  
 From:SHRADDH KUMAR GUPTA RPO  
 Mt:220ms  
 Amt:41.30(Cash)Tax:0.30



(Track on www.indiapost.gov.in)  
 (Call 18002666808) (Wear Mask) (Stay Safe)